

# कार्यालय— जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर (म.प्र.)

दुरभाष कमांक: 0731-2534579

## // निविदा आमंत्रण सूचना //

कमांक 7492 /38-2011-12/

इंदौर, दिनांक-14.10.2019


(LUMINOUS MAKE TUBULAR BATTERY कय किये जाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना)

जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर के कार्यालयीन एवं न्यायालयीन उपयोग के लिए इन्वर्टर हेतु पुरानी बैटरियों को बायबेक कर नई LUMINOUS MAKE TUBULAR BATTERY इन्वर्टर बैटरी कय की जाना है जिस हेतु विक्रेताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है—

क.	आवश्यक सामग्री का विवरण	संख्या
1.	LUMINOUS MAKE LEAD ACID TUBULAR BATTERY OF RATING 12V,150AH, MODEL:ILST18148, WARRANTY:36+12 MONTHS.	19

इच्छुक बैटरी विक्रेता कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर के कार्यालय अनुभाग से ई-टेंडर/निविदा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर दिनांक 01.11.2019 के सायंकाल 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में 'जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर' के नाम से आवक-जावक शाखा में अथवा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर की E-mail ID—[dcourtind-mp@nic.in](mailto:dcourtind-mp@nic.in) के माध्यम से निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।


निर्धारित तिथि के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 02.11.2019 को प्राप्त 11.00 बजे विभागीय कय समिति द्वारा खोला जावेगा। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार कय समिति को होगा। निविदा की शर्तें संलग्न हैं।

  
कृते—जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जिला इंदौर म.प्र.

## कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर (म.प्र.)

(LUMINOUS MAKE TUBULAR BATTERY कय किये जाने हेतु निविदा शर्तें)

01. सील बंद निविदाएं जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर के नाम से प्रेषित की जाना चाहिए।
02. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से बैटरी कय किए जाने हेतु निविदा लिखा जाना चाहिए।
03. नियत समयावधि के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा।
04. आदेशानुसार वांछित **LUMINOUS MAKE LEAD ACID TUBULAR BATTERY OF RATING 12V,150AH, MODEL:ILST18148,WARRANTY:36+12 MONTHS.** संबंधित स्थान तक पहुंचाने तथा 15 दिवस के अंदर उसे स्थापित करने का समस्त उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
05. जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं अथवा बैटरी की संख्या कम या अधिक कर सकते हैं।
06. निविदा में बैटरी कय अथवा बायबेक किये जाने पर निर्धारित मूल्य पर दी जाने वाली छूट आदि का विवरण देना अनिवार्य होगा।
07. निविदाकर्ता वाणिज्यिक विभाग से पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
08. किसी भी शर्त के भंग होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
09. बैटरी की दरें उस पर देय समस्त करों (जीएसटी) सहित दी जावें।

  
कृते—जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जिला इंदौर म.प्र.